प्रकरण संख्या 10/2020 GCMS ID-2020/00045 ता0रजु 25.06.2020

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

ओमप्रकाश शर्मा पुत्र कन्हैयालाल आयु 54 साल जाति ब्राह्मण निवासी रोंधई मोड मण्डरायल उचित मूल्य दुकानदार रोधई 1/2 एवं अस्थाई नींदर 1/2 तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)

— अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.)

— प्रत्यर्थी

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09.04.2020 जिला रसद अधिकारी करौली मुकदमा उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश शर्मा आदेश क्रमांक रसद/अभि./20–2021/34–42।

निर्णय

दिनांक 01.12.2020

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2020 को तहसीलदार मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान 1/2 भाग रोंधई के दिनांक 03.04.2020 से वक्त निरीक्षण तक बंद पाये जाने एवं भौतिक सत्यापन करने पर 8.80 क्विं. गेंहू कम पाये जाने तथा 1/2 भाग नींदर पर 34.31 क्विं. गेंहू कम पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र दिनांक 09.04.2020 को जिला रसद अधिकारी करौली के द्वारा निलंबित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी करौली ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर न देकर लाईसेन्स निलंबित करने में भूल की है। तहसीलदार मण्डरायल ने मौके पर फर्द मौका रिपोर्ट नहीं बनाई ना ही रसद सामग्री को तोला। अदालत मातहत द्वारा दिये गये नोटिस में भी यह दर्ज नहीं है कि कब चैकिंग की दिनांक अंकित नहीं है ना ही सामग्री तोलने का कोई हवाला है। जिला रसद अधिकारी को जवाब का नोटिस भी प्रस्तुत कर दिया है। दिनांक 08.04.2020 को निरीक्षणकर्ता अमित कुमार ई.आई. मण्डरायल एवं पवनकुमार ई.आई. द्वारा अपीलाण्ट की दुकान का मौका देखा जिसमें अपीलाण्ट का स्टॉक सही पाया गया एवं कार्य संतुष्टप्रद पाया गया। अपीलाण्ट ने जवाब नोटिस में भी यह तथ्य दर्ज किया है कि स्टॉक सही था। मौके पर कोई नाप तोल नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा रसद विभाग को विभागीय परिपत्र द्वारा समय–समय पर निर्देश दे रखे है कि मामूली त्रुटि पर डीलर को दण्डित नहीं किया जावे। आदेश दिनांक 09.04.2020 का है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16.06.2020 को प्राप्त होने पर अपील नकल मिलने पर मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अंदर मियाद पेश की है। इससे पूर्व आदेश की प्रति प्रार्थी को नहीं मिली थी। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया है कि अपील दर्ज होने पर श्रीमान् द्वारा प्रथम सुनवाई दिनांक 07.07.2020 नियत की गई थी लेकिन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपील में पत्रावली को प्रेषित करने से एक दिन पूर्व दिनांक 06.07.2020 को अपीलार्थी का राशन अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया है जो कि न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकर फरमाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि तहसीलदार मण्डरायल द्वारा श्री ओमप्रकाश शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार की राशन दुकानों की जांच दिनांक 06.04.2020 को दोपहर 12.00 बजे 1/2 भाग रोंधई व समय दोपहर 2.10 बजे 1/2 भाग नींदर (अस्थायी) की जांच की गई। दौराने जांच उक्त राशन डीलर द्वारा रोंधई भाग 1/2 दुकान को दिनांक 03.04.2020 से वक्त निरीक्षण दिनांक 06.04.2020 तक उचित मूल्य दुकान को नहीं खोलना पाया गया। वक्त निरीक्षण दुकान बंद पाये जाने पर राशन डीलर को फोन करके बुलाया गया एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में दर्ज 18.80 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 10 क्विं. गेंहूं ही मौके पर पाये गये अर्थात् 8.80 क्विं. गेंहूं कम पाये गये। उक्त राशन डीलर की अस्थायी दुकान नींदर भाग 1/2 की जांच के दौरान पोश मशीन में दर्ज 47.31 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 13 क्विं. गेंहूं की मौके पर पाया गया अर्थात् 34.31 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा वक्त जांच निरीक्षण प्रपत्र भरा गया है जिसमें सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिस पर अपीलार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर भी हैं। इससे अपीलार्थी गेंहूं की तौल करने या फर्द मौका तैयार नहीं करने की दलील नहीं दे सकता। तत्समय कोविड–19 लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं को राशन सामग्री तुरंत वितरण करने के आदेश थे। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा राशन दुकान को बंद रखकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रखना, मूल भाग में 8.80 क्विं. गेंहूं एवं अटैच भाग में 34.31 क्विं. गेंहूं का दुरुपयोग करने की अनियमितता पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र दिनांक 09.04.2020 को निलंबित किया गया था। निलंबन उपरांत अपीलार्थी राशन डीलर को नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसके द्वारा वक्त जांच तहसीलदार द्वारा फर्द मौका तैयार नहीं करना, पोस मशीन में दर्ज सामग्री का वक्त जांच दुकान में मौजूद होना एवं अटैच डीलर को समस्त राशन सामग्री हस्तांतरित करना बताया था। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा बाद में "बाद की सोच" से समस्त राशन सामग्री अटैच डीलर को सुपुर्द की गई है। राशन प्राधिकार पत्र निलंबित करने के 90 दिवस के अंदर निलंबन पर अंतिम निर्णय पारित करने के प्रावधान हैं। निलंबन आदेश 09.04.2020 का होने के कारण दिनांक 09.07.2020 से पूर्व राशन प्राधिकार पत्र के निलंबन पर अंतिम आदेश पारित करना आवश्यक था। अतः अपीलार्थी द्वारा की गई उक्त अनियमितताओं, अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा दिनांक 06.04.2020 को अपीलार्थी राशन डीलर की राशन दुकान रोंधई भाग 1/2 की दोपहर 12.00 बजे एवं अस्थायी दुकान नींदर भाग 1/2 की दोपहर 2.10 बजे निरीक्षण किया गया था। दोनों ही दुकानों के निरीक्षण प्रपत्र भरे गये हैं जिनमें निरीक्षण का दिनांक, समय, कम पाये गई राशन सामग्री आदि सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है एवं निरीक्षण प्रपत्रों पर अपीलार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर हैं। निरीक्षण प्रपत्रों के अनुसार अपीलार्थी राशन डीलर की राशन दुकान रोंधई भाग 1/2 दिनांक 03.04.2020 से वक्त निरीक्षण तक बंद पायी गई। वक्त निरीक्षण दुकान बंद पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर को फोन कर बुलाया गया एवं दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में दर्ज 18.80 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 10 क्विं. पाया गया अर्थात् 8.80 क्विं. गेंहूं कम पाया। इसी प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की अस्थायी राशन दुकान नींदर भाग 1/2 का भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में दर्ज 47.31 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा 13 क्विं. गेंहूं की मौके पर पाया गया अर्थात् 34.31 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। तत्समय वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन होने से उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण किये जाने के आदेश थे लेकिन अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा रोंधई भाग 1/2 की दुकान को बंद

जिला कलक्टर
करौली

(4)

रखकर उपभोक्तओं को राशन सामग्री से वंचित रखना गंभीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी राशन डीलर की दुकानों पर 8.80 क्विं. गेंहूं व 34.31 क्विं. गेंहूं कुल 43.11 क्विं. गेंहूं कम पाया जाना भी गंभीर अनियमितता है। निरीक्षण प्रपत्रों पर राशन अपीलार्थी राशन डीलर के स्वयं के हस्ताक्षर होने से अपीलार्थी राशन डीलर गेंहूं की तोल करने, फर्द मौका तैयार नहीं करने की दलील नहीं दे सकता। राशन प्राधिकार पत्र के निलंबन के 90 दिवस के अंदर निलंबन आदेश पर अंतिम निर्णय पारित करना आवश्यक होने के कारण दिनांक 06.07.2020 को निलंबन आदेश पर अंतिम निर्णय पारित करने में जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। अतः हम जिला रसद अधिकारी करौली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2020 में कोई परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2020 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली